MISHRA): (a) The budget provision of Central Water Commission for the year 1997-98 is Rs. 103.12 crroes.

(b) No, Sir.

(c) and (d) The Rashtriya Barh Ayog had recommended, in its report, a number of non-structural measures including Flood Forecasting, Flood Damage Mitigation and Flood Plain Zoning measures for flood management for the country as a whole which are applicable for Godavari basin of Andhra Pradesh also. Central Water Commission has been pursuing the State Governments including Andhra Pradesh for laying proper emphasis on these measures for follow up action.

Also Central Water Commission has established 13 flood forecasting stations on Godavari River System which assist the State Government Authorities in their flood management efforts.

सिंचाई संसाधनों के खराब रख-रखाव पर किसानों को कानूनी सहायता

2716. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "लीगल सपोर्ट टू फार्मर्ज़" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सिंचाई संसाधनों के उपयोग में भारी क्षति सिंचाई-संसाधनों के रख-रखाव की दयनीय दशा और भ्रष्टाचार के कारण होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस आकलन का क्या परिणाम रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई प्रणालियों का अपर्याप्त अनुरक्षण और खराब प्रबंध सृजित सिंचाई सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग न किए जाने के लिए उत्तरदायी है। इस स्थिति के मुख्य कारण सिंचाई स्कीमों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और सिंचाई प्रणालियों के प्रबंध में किसानों की भागीदारी की कमी होना है। राज्य सरकारों को इस संबंध में सुधारात्मक उपाय प्रारंभ करने की सलाह समय-समय पर दी जाती है।

मध्य प्रदेश में जल दरों को तर्क संगत बनाना

2717. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय सिंचाई जल की जिला-वार दर क्या है और अंतिम बार इसका संशोधन कब किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान जल दरें अत्यंत अलाभकर हैं और इनसे प्राप्त होने वाली राशि से इसके रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी पूरा नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने अलाभकर जल दर संरचना की समस्या की जांच की है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) राज्य सरकार के परामर्श से दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई उद्देश्यों के लिए जिला-वार जल दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। फसल-वार जल दरें पूरे राज्य में एक समान रूप से उगाही जा रही हैं। 1.4.1983 से प्रभावी जल दरें मध्य प्रदेश सरकार की 30.9.1992 की अधिसूचना के तहत् 1.10.1992 से संशोधित की गई थीं। तथापि, यह अधिसूचना राज्य सरकार की 30.4.1993 की अधिसूचना के तहत् रद्द कर दी गई थी जिसमें विवरण में दिये गये, (नीचे देखिए) अनुसार जल दरों में संशोधन किया गया।

(ख) से (ङ) सिंचाई द्वारा प्राप्त राजस्व और संबंधित प्रभारों और सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत के बीच अन्तर है। योजना आयोग ने देश में जल की लागत निर्धारण करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1991 में सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण करने संबंधी समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत की थी जिसमें सिंचाई जल दरों को युक्तियुक्त बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए

गए थे। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अक्तूबर, 1992 में योजना आयोग द्वारा गठित अधिकारी दल द्वारा और अध्ययन किया गया था। अधिकारी दल की दिसम्बर, 1994 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थीं कि सिंचाई जल दरों में अगली पांच वर्ष की अवधि में वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत शामिल की जानी चाहिए। सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण, वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के साथ अधिकारी दल की सिफारिशें योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

विवरण

कृषि उद्देश्यों के लिए मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्यों से जल आपूर्ति की जल दरें (प्रवाह और लिफ्ट सिंचाई)

क्र०सं०	फसल का नाम	जल दरें (प्रति एकड़ प्रति फसल) 1.10.92 से प्रभावी
1.	चावल—मांग दर	24.00
	चावल—दीर्घकालीन आधार पर	22.00
2.	गेहूं—पालेवा समेत अधिकतम तीन छिड़काव (वाटरिंग)	25.00
	—प्रत्येक अतिरिक्त छिड़काव (वाटरिंग)	26.00
3.	गन्ना	120.00
4.	शकरकन्दी, मूंगफली (खरीफ), फील्ड पीस, सोयाबीन, कुसुम, सरसों, सनहेम्प, गरबोन्जो	18.00
5.	सूत—सामान्य	24.00
	—संकर	37.50
6.	बागवानी फसलें जैसे हरीमिर्च, बैगन, आलू, भिण्डी, खीरा, अदरक, लहसुन, मूली, फूलगोभी, केला, रबड़ पौध, हल्दी आदि	120.00
7.	पोस्ता और तम्बाकू	27.00
8.	बरसीम (चारा)	50.00
9.	ज्वार (क) — सामान्य (रबी)	15.00
	— संकर (रबी)	30.00
	(ख) — सामान्य (खरीफ)	12.00
	— संकर (खरीफ)	15.00
10.	अन्य चारा फसलें	50.00
11.	हरी खाद फसलें	6.00
12.	मूंगफली (रबी)	24.00
13.	ग्रीष्म धान	90.00
14.	मूंग, चना और अन्य दालें	17.00
15.	जौ (रबी)	20.00
16.	शहतूत	50.00
17.	सूरजमुखी	24.00
18.	भूमि तैयार करने के लिए जल (पालेवा)	12.00
19.	धनियां	50.00